

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 16/2020

दायर दिनांक 06.01.2020

वादी	प्रतिवादीगण
1. मो0 रमजान पुत्र इब्राहिम उम्र 54 वर्ष जाति देशवादी निवासी बालिया, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल रहमान 2. मो0 मुन्शी पुत्र अब्दुल रहमान 3. मुस्कीम पुत्र अब्दुल रहमान 4. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान 5. मो0 जाकिर पुत्र अब्दुल रहमान 6. जरिना पुत्री अब्दुल रहमान 7. मुबिना पुत्री अब्दुल रहमान 8. फिरोजा पुत्री अब्दुल रहमान 9. रूकया पुत्री अब्दुल रहमान 10. साबरा पुत्री अब्दुल रहमान 11. कुलसम पुत्री अब्दुल रहमान 12. आमना पत्नि अब्दुल रहमान 13. अब्दुल मजीद पुत्र इब्राहिम समस्त जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. तहसीलदार डीडवाना।
बनाम	

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 23.02.2021


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 250/960 रकबा 12 बिस्वा, खसरा सं0 359 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 587/959 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 640 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 641 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 741 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 745 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 813 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 912 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 949 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में अवस्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खेतों का मौखिक बंटवारा हो रखा है। उक्त मौखिक बंटवारे के अनुसार उक्त वाद पेश किया गया है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार हो रखा है :-

वादी के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं0 949 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि। खसरा सं0 813 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा वाकै सरहद बालिया की सम्पूर्ण भूमि। खसरा सं0 912 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि। खसरा सं0 359 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि व 1.16 बीघा भूमि रास्ते के चिपते ही एवं खसरा सं0 1160/359 में से 6 बिस्वा भूमि। खसरा सं0 250/960 रकबा 12 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 04 बिस्वा भूमि। खसरा सं0 587/959 रकबा 08 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 02 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी सं0 01 ता 12 के बंट में आई भूमि :- खसरा सं0 359 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 09 बीघा भूमि एवं 1.9 बीघा भूमि रास्ते के चिपते ही तथा खसरा सं0 1160/359 में से 13 बिस्वा भूमि। खेत



  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

खसरा सं० 745 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद बालिया की सम्पूर्ण भूमि। खेत खसरा सं० 741 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद बालिया की सम्पूर्ण भूमि। खेत खसरा सं० 640 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 06 बीघा 02 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 912 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 949 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा में से 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 250/960 रकबा 12 बिस्वा में से 04 बिस्वा भूमि। खसरा सं० 587/959 रकबा 08 बिस्वा में से 03 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी सं० 13 के बंट की भूमि :- खसरा सं० 359 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 9 बीघा एवं 1.11 बीघा भूमि रास्ते के चिपते ही तथा खसरा सं० 1160/359 में से 11 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 640 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 641 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद बालिया की सम्पूर्ण भूमि। खेत खसरा सं० 912 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि। खेत खसरा सं० 949 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा में से 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि। खसरा सं० 250/960 रकबा 12 बिस्वा में से 04 बिस्वा भूमि। खसरा सं० 587/959 रकबा 08 बिस्वा वाकै सरहद बालिया में से 03 बिस्वा भूमि।

यह है कि उक्त वाद के साथ नजरी नक्शा अनुसार खातेदार कब्जा काशत है व जिन खातेदारों के बंट में कम भूमि आई है उन्हें पृथक से खरीद करके भूमि दी जा चुकी है व 12 बिस्वा भूमि खसरा सं० 912 में से संयुक्त रास्ते के लिए रखी गयी है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार से है :- यह है कि वादी में उपरोक्त वर्णित बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 02, 04, 05, 08, 11, 14 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै बालिया खेत खसरा सं० 1160/359, 250/960, 359, 587/959, 640, 641, 741, 745, 813, 912, 949 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 13 के नाम नजरी नक्शा अनुसार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नक्शे)

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नक्शे)  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 16/2020

दायर दिनांक 06.01.2020

वादी	प्रतिवादीगण
1. मो0 रमजान पुत्र इब्राहिम उम्र 54 वर्ष जाति देशवादी निवासी बालिया, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल रहमान 2. मो0 मुन्शी पुत्र अब्दुल रहमान 3. मुस्कीम पुत्र अब्दुल रहमान 4. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान 5. मो0 जाकिर पुत्र अब्दुल रहमान 6. जरिना पुत्री अब्दुल रहमान 7. मुबिना पुत्री अब्दुल रहमान 8. फिरोजा पुत्री अब्दुल रहमान 9. रूकया पुत्री अब्दुल रहमान 10. साबरा पुत्री अब्दुल रहमान 11. कुलसम पुत्री अब्दुल रहमान 12. आमना पत्नि अब्दुल रहमान 13. अब्दुल मजीद पुत्र इब्राहिम समस्त जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. तहसीलदार डीडवाना।
बनाम्	


दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 23.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै बालिया खेत खसरा सं0 250/960, 359, 587/959, 640, 641, 741, 745, 813, 912, 949 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 13 के नाम नजरी नक्शा अनुसार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.02.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना